

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2028

दिनांक 07/09/2022

प्रार्थी :-

1.अणदाराम पुत्र ईशाराम
जाति जाट, निवासी सुथारों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. दुदाराम पुत्र खेराजराम 2.भेराराम पुत्र अर्जनराम
3.तिलोकाराम पुत्र मूलाराम 4.अमराराम 5.धनाराम
पुत्र चौखाराम, जाति जाट, निवासी सुथारों का
तला, 6.गोसाईराम 7.भीयाराम पि.दमाराम, जाति
जाट, निवासी गडरारोड़, 8.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 90/2022

दिनांक : 07.09.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
जैसार के मौजा सुथारों का तला के खेत खसरा सं. 425/49, 441/67 रकबा क्रमशः 04.8562,
06.4750 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया
जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत
तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश

रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2029 to 2032

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी अणदाराम
3. विप्रार्थीगण दुदाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 07/09/2022



(भागारकतम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन